(13) (1)

रिविजन कमांक : /2018
प्रस्तुती दिनांक : 4 /12/ 2018

रा.रा.श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल, ग्वालियर

निगरानी – 6386/2018/शाजापुर/भू.रा.

प्रार्थीगण / रिवजनकर्ता – 1 महेशचन्द्र पिता लक्ष्मीनारायण,
आयु 48 वर्ष, व्यवसाय – कृषि
2 नरेन्द्र पिता रमेशचन्द्र,
आयु 28 वर्ष, व्यवसाय – कृषि
3 विकम पिता रमेशचन्द्र
आयु 25 वर्ष, व्यवसाय –नौकरी
4 मुकेश पिता महेशचनद्र
आयु 26 वर्ष, व्यवसाय – कृषि
5 भगवानसिंह पिता महेशचन्द्र
आयु 23 वर्ष, व्यवसाय – कृषि
6 राहूल पिता जगदीशचन्द्र,
आयु 23 वर्ष, व्यवसाय–कृषि
7 अर्जुन पिता जगदीशचन्द्र,
आयु 20 वर्ष, व्यवसाय–कृषि
8 रमेशचनद्र पिता लक्ष्मीनारायण
आयु 65 वर्ष, व्यवसाय – कृषि
9 जगदीशचन्द्र पिता लक्ष्मीनारायण खाती
आयु 45 वर्ष, व्यवाय – कृषि
सभी निवासी ग्राम अरनियाकला
तहसील कालापीपल,
जिला शाजापुर (म.प्र.)

श्री धर्मेन्द्र त्रिपाठी अभि.
द्वारा आज दि. 4-12-18 को
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 6-12-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 4-12-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

प्रत्यर्थीगण – 1 दिनेश पिता ईश्वरलाल,
आयु 48 वर्ष, व्यवसाय – कृषि
2 ओमप्रकाश पिता ईश्वरलाल,
आयु 45 वर्ष, व्यवसाय – कृषि
3 मानकुंवर बेवा ईश्वरलाल,
आयु 65 वर्ष, व्यवसाय–गृहकार्य
4 रेखाबाई पुत्री ईश्वरल
आयु 28 वर्ष, व्यवसाय–गृहकार्य,
5 सीमाबाई पुत्री ईश्वरलाल खाती
आयु 25 वर्ष, व्यवसाय गृहकार्य
सभी निवासी ग्राम अरनियाकला,
तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर म.प्र.

धर्मेन्द्र त्रिपाठी
4/12/2018

महेशचन्द्र

(2)

6 मध्यप्रदेश शासन
द्वारा पटवारी
ग्राम अरन्याकला तेहसील कालापीपल
जिला शाजापुर (म.प्र.)

रिविजन याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता के तहत

रिजिवनकर्ता व्दारा अपने वैधानिक हितों के सुरक्षार्थ, अपीलीय न्यायालय अपर आयुक्त (राजस्व) उज्जैन संभाग, उज्जैन के अपील कमांक 663/2017 में पारित आलोच्य आक्षेप आदेश दिनांक 24–09–2018 से दुःखी एवं व्यथित होकर प्रस्तुत करी हैं, विद्वान अपर आयुक्त अपीलीय न्यायालय व्दारा बिना कानुन का सुक्ष्म प्रश्न बनाये बगैर एवं बिना तात्वीक वाद विषय बनाये बगैर ही, सदर अपीलार्थी के पक्ष में अपील कमांक 60/अपील/ 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 3 फरवरी 2018 को निरस्त करने में विधि की गंभीर भुल की है। इससे व्यथित होकर यह रिविजन याचिका श्रीमान् रिविजन न्यायालय / श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर के समक्ष न्यायहित में, अविलम्ब प्रस्तुत की जा रही है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

यह कि प्रत्यर्थीगणों व्दारा/अनावेदकगणों व्दारा नायब तेहसीलदार टप्पा अरनियाकला तेहसील कालापीपल जिला शाजापुर में एक राजस्व प्रकरण कमांक 1–अ–13/2013–14 सदर रिविजनकर्ताओं के विरूद्ध धारा 131, 132, 133, 134 म.प्र. भू.रा.संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत करते हुए, रिविजनकर्ता की भुमि में से रास्ता मांगते हुए रास्ता खुलवाये जाने का प्रकरण प्रस्तुत किया, एवं बिना किसी दस्तोवज को प्रस्तुत करते हुए एवं प्रकरण के दौरान दिनांक 24–07–2016 को रिस्पान्डेन्ट ईश्वरलाल की मृत्यु हो जाने के बाद भी अधिनस्थ न्यायालय ने मृतक ईश्वरलाल के नाम पर प्रकरण को

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-6386/2018/शाजापुर/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04/12/2018	अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कुंवर सिंह कुशवाह उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेश दिनांक 24.09.2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में आज दिनांक 04.12.2018 को प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अपर आयुक्त द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरुद्ध निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत करने संबंधी कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। ऐसी स्थिति में यह निगरानी इस न्यायालय में प्रचलन योग्य नहीं है। अतः यह निगरानी आवेदक को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस की जाए। **प्रशासकीय सदस्य**	